Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.7282, Volume 09, No. 02, April, 2019, pp. 156-160

पर्यावरण संरक्षण का महिला व कानून से अंर्तसम्बंध

डॉ. प्रीति भाटी*

lkjka'k

पर्यावरण संरक्षण का महिला व कानून से अन्र्तसम्बन्धको स्पष्ट किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण में 200 कानूनों का प्रयोग किया हैं। इसमें सबसे पुराना शोर एक्ट (बम्बई व कोलोंबो) हैं जो 1853 में बना था। 1976 तक तो संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का जिक्र तक नहीं था। सातवीं अनुसूची में विभिन्न कानूनों की तीन श्रेणियाँ हैं। यहाँ कानूनों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटा गया हैं। राज्य विधानसभाओं को पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार हैं। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत् पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों को शामिल किया गया। पहली बार संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का उल्लेख हुआ। सरकार 42वें संशोधन के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती थी, जो उसे पहले नहीं प्राप्त थे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 'अ' जोड़ा गया 'राज्य देश के प्राकृतिक पर्यावरण और वनों व वन्य जीवन की सुरक्षा और विकास के उपाय करेगा।'' संविधान में पहली बार दर्ज मौलिक कर्त्तव्यों के अध्याय (अनु. 51 अ(जी)) में कहा गया ''वनों, झीलों, नदियों व वन्य जीवन की सुरक्षा व विकास और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा।'' वनों और वन्य जीवन से जुड़े, मसले राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिये गये।

eqy 'kCn: *पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, समवर्ती सूची, नीति निदेशक सिद्धांत।*

———————

iLrkouk

महिलाओं व पर्यावरण संरक्षण में एक विशेष अन्र्तसम्बन्ध होता हैं। महिलाएं पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर होती हैं। पर्यावरण नष्ट होने से महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। महिलाओं व पर्यावरण के मध्य गंभीर सम्बन्ध हैं। संसार में नारी प्राथमिक खाद्य उत्पादक है जो कि खुले रूप से धरती से सम्बन्ध रखता है जो मुख्यतः अर्थव्यवस्था के मुख्य अंगभूत की कुंजी हैं। पर्यावरण संरक्षण तेजी से महिलाओं के अथक प्रयास से बढ़ रहा हैं। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण शिक्षा में अपना अच्छा योगदान प्रदान कर रही है और सरकार भी यह अच्छा कर रही थी कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण अवसर सौंप दिये थे।

महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमों के बारे में साहित्य का विकास करें। महिलाएँ आत्मिक रूप से आन्दोलन में यह प्रदर्शित कर रही थी कि वे पृथ्वी को पारिस्थितिक आपदाओं से बचाने का प्रयत्न कर रही हैं। कारोलियन मर्चेण्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि महिला, प्रकृति और संस्कृति का द्विविभाजन करना गलत हैं। मर्चेण्ट ने ऐतिहासिक विश्लेषण पर प्रकाश डाला कि देखा जा रहा है पूर्व उपनिवेशवादी काल में यह विचारधारा थी कि महिला और प्रकृति के मध्य सम्बन्ध हैं।

* व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, टैगोर पी.जी. गर्ल्स कॉलेज, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।

यह दोनों दो भिन्न प्रतिरूप अस्तित्व होते हुए भी साथ–साथ हैं। एक तो कृत्रिम रूप से प्रकृति का संरक्षण करने वाला और दूसरा इसे स्वीकार करने वाला हैं। दोनों की पहचान प्रकृति के साथ महिला के साथ होती हैं। महिला के ही समान विशेष रूप से प्रकृति इनका पालन–पोषण करने वाली है और संस्कृति पर प्रतिबन्ध लगाने वाली हैं। इसे सामाजिकता व नैतिकता के प्रकार के रूप में स्वीकार किया गया हैं और मानवीय कार्यों के रूप में पृथ्वी के समान ही सम्भावित व स्वीकृत किया हैं। भारत में महिलाएँ वायु व जल संरक्षण में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करती है। महिलाओं ने सरकार से नवीन कानून प्रस्तावित करवाने का प्रयास किया। जिसका सरकार ने पालन किया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वन्य जीव कानून, जल कानून व वायु कानून आदि बनाये गये हैं।

भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून

- **वन्य जीवन कानून**

वन्य–जीव (संरक्षण) कानून 1972 के तहत वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के गठन, वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार के नियमन,अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए क्षेत्रों के निर्धारण और वन्य पशुओं के व्यापार के नियन्त्रण का प्रावधान हैं। इसे लागू करने का श्रेय भारतीय वन्य जीव बोर्ड को जाता हैं। वैसे कुछ सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का यह बोर्ड केवल एक सलाहकारसंस्था हैं। चूंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, इसलिए इसकी सलाहीं को विशेष महत्व दिया जाता हैं। इस बोर्ड की तर्ज पर राज्यों में भी राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड बनाये गये हैं। वनों और वन्य प्राणियों को एक विषय मानकर उनका प्रबन्ध राज्यों के वन विभागों के अधीन करने के सवाल पर काफी बहस हुई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह विभाग को दो भागों में बांटकर एक नया वन्य जीव विभाग बनाया जाये जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की देखभाल का काम करें केन्द्र सरकार अब इस बारे में एक नया कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। विचाराधीन विधेयक भारतीय जीवन जगत कानून (इंडियन बायोस्फेयर एक्ट) भी वन्य जीव संरक्षण विधेयक की तर्ज पर ही होगा।

- **जल कानून**

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जल प्रदूषण के अध्ययन के लिए 1962 में ही एक विशेषज्ञसमिति बनाई थी। समिति ने इस मुद्दे पर केन्द्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। स्थानीय स्वशासन की केन्द्रीय परिषद् ने भी संसद के द्वारा एक कानून बनाये जाने की सिफारिश 1963 में ही की थी। 1965 के तहत् इसके लिए एक विधेयक का मसौदा सभी राज्यों को भेजा गया। राज्यों से अनुरोध किया गया किवे इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद सौंपने के लिए प्रस्ताव करें। जल प्रदूषण निवारण विधेयक 1969 में राज्य सभा में पेश किया गया। इससे पहले छः राज्यों ने इसके लिए प्रस्ताव पास किये थे। अगस्त 1970 में राज्यसभा ने विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा। समिति ने इसमें कई फेरबदल किये और 1972 में इसे संसद में पेश किया गया। 1974 में यह विधेयक मंजूर किया गया। जल कानून का दायरा व्यापक है। प्रदूषण, मल, जल कचरा, कारखानों का कचरा आदि की व्यापक परिभाषा दी गई हैं। कानून में केन्द्रीय व राज्यों के बोर्डों के गठन करना प्रावधान हैं। इन पर मुकदमा चल सकता है, और ये मुकदमा चला सकेंगे। कृषि, मछली पालन केन्द्र व राज्य सरकारों के निगमों या कम्पनियों और अन्य कारखानों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है। जल प्रदूषण की रोकथाम के मसले पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के अलावा केन्द्रीय बोर्ड सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य बोर्ड की भूमिका भी निभाता है। अगर राज्य सरकार का कोई निर्देश केन्द्रीय बोर्ड के निर्देश से मेल नहीं खाता तो मामला केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है। कानून को लागू कराने में कई समस्याएं है। जल बोर्डों के अधिकारों और कार्यक्षेत्रों का तो इस कानून में उल्लेख है लेकिन कोष के मामले में कुछ नहीं कहा गया हैं। यह राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया हैं। जब तक कोष के मामले में कुछ निश्चित नहीं होता, राज्यों के बोर्ड कानून को प्रभावी तरीकें से लागू नहीं करा सकते। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने केन्द्र व राज्य बोर्डों का खर्च जुटाने के लिए ''उपकर'' लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया।

साधन उपलब्ध करवाने और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1977 में जल (प्रदूषण रोकथाम) उपकर कानून बनाया गया। इस कानून पर कई कारखानों की ओर से मुकदमें दायर किये गये। जल कानून 1974 के सेक्शन 24(1) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं। इस सेक्शन में प्रदूषण फैलाने वाले कचरे को जल स्त्रोतों या कुँओं में बहाने पर रोक लगाने की बात कहीं गई हैं। जल स्त्रोतों के नैसर्गिक प्रवाह को कुप्रभावित करने या उसमें प्रदूषण फैलाने की जानबूझ कर कोशिश की अनुमति को अपराध करार दिया गया हैं। जल कानून के सेक्शन 32 के तहत बोर्ड को कुछ आपातकालीन उपाय करने के अधिकार भी दिये गये हैं जब राज्य बोर्ड को पता चले कि किसी जल स्त्रोत में किसी दुर्घटना या अनदेखी के कारण से कोई जहरीला तत्व मिल रहा हैं। अंत में सेक्शन (49)(1) में कहा गया है ''इस कानून के तहत् अपराधों के बारे में कोई भी शिकायत जब तक राज्य बोर्ड के द्वारा या उसकी लिखित मंजूरी के बिना नहीं की जाती, अदालतें उस पर ध्यान नहीं देंगी।''

- **वायु कानून**

देश में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए कानून बनाने की हालांकि इधर कोई खास कोशिश नहीं हुई थी, लेकिन 81 वर्षों से इस मुद्दे पर एक कानून जारी हैं।'' बंगाल के स्मोक न्यूसेंस एक्ट'' 1905 में ही बन गया था। इसके बाद 1912 में बम्बई और 1958 में कानपुर में भी इसी तरह के कानून बनें। कई अन्य राज्यों ने बंगाल कानून को अपने यहाँ लागू किया। ये कानून मुख्यतः कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से सम्बन्धित थे। लेकिन कई नये कारखाने लगते गये और उन पर इन कानूनों का जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से सम्बंधित थे, लेकिन कई नये कारखानें लगते गये। महिलाओं ने सरकार को नये कानून बनाने के लिए बाध्य किया। जिससे वायु प्रदूषण की रोकथाम की जा सकें।

वृक्षारोपण हेतू महिलाओ के नवीन प्रयास

पश्चिमी बंगाल की साम्यवादी सरकार सामाजिक वानिकी योजना को भी लुगदी वाले पेड़ लगाने की ही योजना बनाना चाहती है। टीटागर पेपर मिल्स और पश्चिमी बंगाल लुगदी काष्ठ विकास निगम दोनों कमजोर जमीन में व्यापारिक लुगदी वाले पेड और बांस के जंगल लगाने वाले है निगम के अध्यक्ष श्री ए. के. बनर्जी पीले टीटागर पेपर मिल्स के कच्चा माल विभाग के मैनेजर थे। निगम भीतरी तथा छीदा वृक्षारोपण वाली नीति अपनाने वाला है। इस निगम के माध्यम से महिलाएं वृक्षारोपण में अपना योगदान दे रही है। भीतरी क्षैत्र में व्यापारिक पेड़ लगेगे जहां के पेडों और उनकी देखभाल पर महिलाओं का सीधा नियन्त्रण रहेगा। लेकिन चारों ओर के छीदे क्षेत्र में बसे लोगों की भीतरी जंगल से ईधन और चारा ले जाने से रोकने के लिए सघन वानिकी कार्यक्रम चलाये जायेगे। श्री बनर्जी कहते है कि इससे भीतरी जंगलों की रखवाली का काम हल्का होगया वरना पहरा और रखवाली की पूरी व्यवस्था करना बडा महंगा पडेगा।

महिलाओं द्वारा केचुएं की खाद का प्रयोग (वर्मीकल्चर)

वर्मीकल्चर के प्रयोग के कारण पर्यावरण संरक्षण को भी एक नई गति प्राप्त हुई है जैविक खादों के प्रयोग के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच रहा है शेखावाटी की धरती से अंकुरित हुई वर्मीकल्चर संस्कृति आज पूरे राजस्थान समेत गुजरात, हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उत्तरप्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रो में आत्मविश्वास के साथ लहलहा रही है। फाउन्डेशन के अथक प्रयासों से जैविक खाद के प्रयोग को लेकर एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। गांवों के उन्नतशील किसान महिलाएं और स रकार जैविक खेती की महत्ता को अच्छी तरह जानने लगे है। इसके देखा–देखी उचित जानकारी के कारण एक सामान्य किसान भी पैदावार बढाने और कम लागत वाली खेती के लिए उत्सुक होता है, पर दुर्भाग्य है कि देश के सवा छः लाख गांवों में बसे किसानों को सरकारी वा गैर सरकारी एजेसियों की सहायता नहीं मिल पा रहीं है। वर्मीकल्चर पर आज पूरी दूनिया में नित शोध हो रहे है। केंचुओ की 45000 प्रजातियां है जिसमें से काफी प्रजाति कृत्रिम वर्मीकल्चर के लिए सर्वाधिक उपयोगी व कारगर सिद्व हुई है।

बैंगलोर की आस्ट्रा संस्था द्वारा महिलाओं का पर्यावरण संरक्षण में योगदान

बैंगलोर की आस्ट्रा नामक संस्था के वैज्ञानिक व इंजीनियर पुरा गांव की ऊर्जा पूरी करने के काम मे जुटे है गोविन्दपुर (मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश) का महिलाओं द्वारा वनवासी सेवा आश्रम निजी सामुदायिक जमीन में सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम चल रहा है। इस अभियान में लगभग एक हजार किसान परिवार शामिल है। जिसमें अधिकतर महिलाएं अपना योगदान दे रही है। 10 गांवों की स्त्रियों ने अपने खेतों में नर्सरी लगाई है। एफ.ओ (एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन) गांवों में खाद्यान्न की उपज बढाने वाले कार्यक्रमों का मदद देती है।

खीराकोटा गांव की महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण

खीरा उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले का एक गांव है। वहां कम्पनी ने खडिया पत्थर की खुदाई का काम प्रारम्भ किया था। वातावरण तेजी से बिगडने लगा। खनन के कारण बहुत क्षैत्र के पेड कट गये। खेतों में पत्थर के टुकडे बिछ गये। गांव के लोगों ने खासकर ने इस खनन का विरोध किया और वे जीत गई। अब महिलाएं 'लक्ष्मी' आश्रम नेतृत्व में इसे फिर से सुधारने के काम में लगी है। खदान वाले क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए अनेक शिविर लगाये गये है। महिलाओं व पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध केवल नाममात्र के लिए नहीं बल्कि एक अटूट सम्बन्ध होता है। महिलाओं पर यह आरोप भी है कि वे पर्यावरणीय विनाश के लिए उत्तरदायी है लेकिन इसके बावजूद परम्परागत रूप से देखे तो पायेगे कि महिलाएं प्राकृतिक संसाधन का प्रबन्धन करती है वे उस प्रक्रिया को अपनाती है जिससे नवीन अन्वेषण करके नई रणनीतियों को सूत्रबद्व कर सके। जो कि संसाधनो कों व्यवस्थीकृत करने के लिए उपस्थित है पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं ने व्यापक रूप से कार्य किये है। लम्बे समय से महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण कर रहीं है जिनका स्वरूप कृषि, जंगलों पशुधन, जल और तरह–तरह के क्षेत्र में अनेक कार्य कलापों से सम्बन्धित है। इन संसाधनों के उपकर्ष का प्रभाव भी महिलाओं को विपरीत रूप से पीडित कर रहा है।

तकनीकी के नवीन परिवर्तन महिलाओं को विविध रूप से प्रभावित करते है अक्सर नई तकनीकी के स्थान पर महिलाएं परम्परागत तकनीकों को ही महत्व देती है। इन परिवर्तनों के कारण उन्हे इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन से पूर्णतः पृथक कर दिया है जिसे प्रबन्धन पर उनका पूर्ण अधिकार था और उनके प्रबन्धन की विशेषता भी थी। इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच को समाप्त कर दिया गया व उनके ज्ञान व श्रम के महत्व नहीं दिया जा रहा है महिला और प्राकृतिक विश्व अनिवार्य रूप से पृथ्वी के जीवन का अंग है। तीसरे विश्व में विशेषतया महिलाओं ने जीवन के अत्यावश्यक तत्व ऊर्जा, भोजन व जल को उचित रूप से संभाला है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण के सबसे प्रभावी प्रयासों में 1911 का कनाड़ा, जापान, रूस और अमरीका के बीच हुआ 'माइगरेटरी संरक्षण समझौता' और 1916 में अमरीका और कनाड़ा के बीच हुआ 'माइगरेटरी वाअर फाऊल' संरक्षण समझौता शामिल हैं। 1972 में स्वीडन में मानव पर्यावरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दुनियाभर के देशों में प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण की बात पर काफी जोर दिया गया। किसी एक स्त्रोत के प्रयोग से इससे जुड़े अन्य स्त्रोतों के प्रयोग और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देना ही संरक्षण का सर्वोच्च सिद्धांत हैं। पानी, मिट्टी, वन्य जीवन, खनिज और वनों का उचित प्रयोग ही संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य हैं। औद्योगिक, कृषि, शहरी और घरेलू स्त्रोतों खासकर जहरीले रसायन, रेडियोधर्मी कचरे और बढ़े हुए जल–तापमान से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकना संरक्षण का ही उद्देश्य हैं। विशाल आबादी वाली दुनिया में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना ही प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण का मुख्य मुद्दा हैं।

पर्यावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

पर्यावरण प्रदूषण को वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बैठकों पर इस विषय पर वार्ताएं करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में यू.के. ग्लेनेगल्स (बंकिधम) में जी–8 (विकसित राष्ट्रों) की 7–8 जुलाई 2005 की बैठक सम्पन्न हुई हैं।

निष्कर्ष

महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका बढ़ती जा रही है, इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियों व महिला संगठनों ने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया हैं। इस शोध के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि मनुष्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तेज गति के साथ अपने पर्यावरण को अनेक प्रकार से और अपूर्व ढंग से बदलने की शक्ति अर्जित कर ली हैं। प्रकृतिदत्त तथा मानवकृत दोनों ही प्रकार के पर्यावरण मनुष्य के स्वयं के रख–रखाव, मानव अधिकार और स्वयं के जीवन अधिकार के उपभोग के लिए आवश्यक हैं।

मानव पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार ऐसे प्रमुख विषय है जिनसे पूरे विश्व के लोगों के हित तथा उनके आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता हैं। यही पूरे विश्व के लोगों की आवश्यक आकांक्षा और सभी सरकारों का कर्त्तव्य भी हैं। मनुष्य को अपने अनुभवों को लगातार संग्रहित करते रहना है और साथ ही उन्हें खोज, आविष्कार और नये–नये विचारों से समृद्ध भी करते रहना हैं। अपने समय में यदि मनुष्य जिसमें अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने की योग्यता है, अपनी बुद्धिमता से उसका उपयोग करता है तो इससे लोगों को विकास के लाभ तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के अवसर मिल सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- आपदा, प्रबन्धन, गोयल ब्रदर्स, 2005
- देव, सी पी. सिंह, हरी भरी हो धरती अपनी, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1994
- गुर्जर, राम कुमार, पर्यावरण प्रबन्धन एवं विकास, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
- चन्दोला, प्रेमानन्द, पर्यावरण और जीव, हिमाचल पुस्तक भण्डार, दिल्ली, 1984
- गर्ग, रूप किशोर और प्रकाश तातेड़, पर्यावरण शिक्षा, प्रकाशन – पर्यावरण सामुदायिक केन्द्र, उदयपुर, 1988
- माथुर, ए.एन. पर्यावरण शिक्षा, हिमांशु पब्लिकेशन, दिल्ली, 1993
- माथुर, पी.सी. गुर्जर, रामकुमार, पानी की खोज, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1992
- पाण्डेय, जगदीश चन्द्र, समाज और पर्यावरण, प्रगति प्रकाशन, राजस्थान पीपुल्स हाउस, जयपुर, 1986
- श्रीवास्तव, हरी नारायण, वायुमण्डलीय प्रदूषण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1991
- सिंह, भोपाल, पर्यावरणीय शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, आर्य बुक डिपो प्रकाशन, करोल बाग, नई दिल्ली, 1991
- गोयल, एम.के. पर्यावरण शिक्षा, प्रकाशन –विनोद बुक सेन्टर, आगरा, 2005 पेज नं. 262
- जॉन्सन, सेण्ड्रा, एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ अरबन सॉलिड वाटन इन डवलपिंग

♦❐♦